कम्प्यूटर परिपत्र सं0 / दिनांक सितम्बर 2010

परिपत्र सं0 / आडिट / 2010-11/ 1011041 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0-
(आडिट अनुभाग)
लखनऊ::: दिनांक::: 7 सितंबर 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर , उ0प्र0 ।

विषय :- महालेखाकार के आडिट के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही ।

महालेखाकार के सम्परीक्षा दल द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यालयो की सम्परीक्षा कर विभिन्न प्रकार की आपत्तियॉ लगाई जाती है । आपत्तियों के त्वरित निस्तारण की आवश्यकता है । समय से आडिट आपत्तियो का निस्तारण न होने पर यही आपत्तियॉ लोक लेखा समिति का पैरा बन जाती है । अत: आडिट आपत्तियो के संबंध में निम्न बिन्दुओ का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

1- आडिट पार्टी द्वारा रफ नोट उपलब्ध कराने पर प्राय: अधिकारी उस पर यह टिप्पणी अंकित कर देते है कि " नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । " यह लिखा जाना उचित नही है । टिप्पणी को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तथा असहमति की दशा / आपत्ति विधिक न होने की दशा में रफ नोट पर असहमति के समस्त तथ्यो को अंकित किया जाए । इस संबंध में यदि शासनादेश अथवा न्यायालयो के निर्णय हो तो उन्हे भी अंकित किया जाए ।

2- वर्ष 2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 व 08-09 की पी0ए0सी0 की बैठक अभी होनी है जिन मामलो में अभी तक वसूली नही हुई है अथवा जिनमें पहले सूचित किया गया था कि वसूली होनी है उनमें प्रत्येक 02 माह में वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए । इसमें यह भी बताया जाए कि वसूली हेतु क्या-क्या प्रयास किए गए जिनमें बकाएदार के विरुद्ध उत्पीड़न, वारंट, कुर्की, न्यायालयों में शीघ्र सुनवाई हेतु किए गए प्रयास भी शामिल किए जाए । जिन मामलो में बकाए को राइट आफ किया जाना है उनमें भी प्रगति से अवगत कराए । जिन मामलो में वसूली की कार्यवाही किसी न्यायालय से स्थगित है तो स्थगन निरस्त कराने हेतु क्या प्रयास किए गए । इससे भी अवगत कराया जाए ।

3- मुख्यालय से प्राप्त फैक्स, पत्र आदि पर कार्यवाही पूर्ण कराकर नियत तिथि तक फैक्स या पत्र द्वारा सूचना देने का दायित्व संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर का है । यह देखने में आ रहा है कि ज्वाइन्ट कमिश्नर स्वयं समय से उत्तर प्रेषित न कर संबंधित खण्डो को पत्र लिख देते है व उन्हे सीधे मुख्यालय को सूचना प्राप्त कराने हेतु निर्देश देकर, पत्र की प्रति मुख्यालय प्रेषित कर देते है, यह स्थिति उचित नही है । यदि भविष्य में यह पाया गया तो संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

4- यदि आडिट की कोई आपत्ति सही है तो रफ नोट के आधार पर ही उस पर अविलम्ब कार्यवाही कर दी जाए तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाए । महालेखाकर से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट का इंतजार न किया जाए । कृत कार्यवाही की रिपोर्ट नियमानुसार महालेखाकार को भेज दी जाए ।

5- आडिट में बहुत अधिक मात्रा में धारा 15ए(1) (सी) के अन्तर्गत अर्थदण्ड न आरोपित करने की आपत्तियॉ लगाई जाती है जबकि मा0 उच्च न्यायालय के अनेको निर्णय है कि बेस्ट जजमेन्ट के आधार पर धारा 15ए(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यवाही नही की जा सकती । अत: आपत्ति लगने पर उक्त निर्णयो को अंकित कर आपत्ति अस्वीकार की जाए । आपत्ति तभी स्वीकार की जाए जब अपवंचित टर्नओवर के समुचित साक्ष्य उपलब्ध हो ।

1- नार्दन इंडिया केमिकल वर्क्स बनाम कमिश्नर बिक्री कर 2003 एन0टी0एन0 (Vol 23) 972
2- मोतीलाल जवाहर लाल बनाम कमिश्नर बिक्री कर 2003 एन0टी0एन0 (Vol 23) 590
3- कमिश्नर बिक्री कर बनाम शान्ति स्वरुप राजकुमार मुरादाबाद एस0टी0आई 1998-394

6- व्यापार कर व वैट अधिनियम में कर में पूर्ण या आंशिक छूट प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रपत्रो की व्यवस्था है । कुछ प्रपत्रो पर मात्र एक माह तथा कुछ में तिमाही सम्व्यवहार ही अंकित किए जा सकते है । किन्तु कभी-कभी इन प्रपत्रो पर एक से अधिक माह अथवा एक से अधिक तिमाही के सम्व्यवहार अंकित होते है । आडिट पार्टी को पार्ट-2ए का पैरा बनाने के लिए जिस माह या तिमाही में कम टर्नओवर होता है उसकी छूट प्रदान करते है व अधिक राशि हेतु छूट अस्वीकार करते है जबकि उच्च न्यायालय के निर्णय इसके विपरीत है तथा उनके अनुसार जिस माह / तिमाही में सम्व्यवहार की राशि अधिक होगी उसके लिए छूट प्रदान की जाएगी व कम राशि वाले माह अथवा तिमाही हेतु कर आरोपित किया जाएगा । अत: रफ नोट पर मंतव्य अंकित करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए ।

7- यह आपत्ति भी बहुतायत में अधिक लगाई जाती है कि स्वीकृत कर पर ब्याज आरोपित नही किया गया । फील्ड स्तर से इस प्रकार के कर निर्धारण आदेश मॅगाने पर पता चला कि अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में लिखा रखा है कि अमुक राशि व्यापारी का स्वीकृत कर है जिस पर अमुक तिथि से नियमानुसार जमा करने की तिथि तक व्यापारी ब्याज भी जमा करेगाा । इस प्रकार की आपत्तियॉ रफ नोट पर सही स्थिति लिख कर समाप्त कराई जा सकती है । यह उचित होगा कि कर निर्धारण की तिथि तक का ब्याज आदेश में गणना कर लिख दिया जाए ।

8- आडिट आपत्ति के अनुपालन में किसी परिपत्र, शासनादेश अथवा किसी न्यायिक निर्णय के आधार पर यदि आपत्ति से भिन्न मत व्यक्त किया जाता है तो इन आदेशो की प्रतियॉ भी अनुपालन रिपोर्ट के साथ भेजी जाए ।

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर उ0प्र0 परिपत्र की पर्याप्त प्रतियॉ कराकर समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/ वि0अनु0शा0) व समस्त कर निर्धारण अधिकारियो को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।

उपरोक्त बिन्दुओ का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

6/9/10

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

6/c.